



अति. आवश्यक
सर्वोच्च प्राथमिकता

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4 (441) परावि/पीसी/मु.म.जलस्व.अभि./2017/1869 जयपुर दिनांक : 12/7/17

जिला कलक्टर

जिला (सारणी में अंकित 25 जिले)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद (सारणी में अंकित 25 जिले)

विषय :- मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों को गति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक 4431 दिनांक 16.11.16, 4610 दि. 1.12.16, 4803 दि. 30.12.16, जलग्रहणनिदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 14204-14324 दि. 25.11.16, 14730-14852 दि. 6.12.16, 15395-15510 दि. 13.12.16, 15588-15679 दि. 19.12.16, 37 दि. 6.1.17, 49 दि. 9.1.17 536 दि.9.3.17, 537 दि. 9.3.17, 769 दि. 6.4.17, 839 दि.12.4.17, 840 दि.12.4.17 जलग्रहण निदेशालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5838-5948 दि.13.4.17, 8840 दि.17.4.17, 967 दि. 21.4.17, 1069 दि.2.5.17, 1281 दि.18.5.17, 1479 दि.1.6.17, 1632 दि. 23.6.17 एवं 1775 दि. 5.7.17.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों का अवलोकन करे, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के कार्यों की स्वीकृतियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी एवं कार्य दिनांक 30.6.2017 तक अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु पूर्ण करने हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक वीसी एवं समीक्षात्मक बैठकों में भी लगातार एवं स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाते रहे हैं। मा. अध्यक्ष, आरआरबीए द्वारा दिनांक 11.7.17 की समीक्षात्मक बैठक में कार्य पूर्ण होने की कम प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुये दिनांक 15.7.17 तक सभी कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अभियान में प्रगतिरत एवं अप्रारंभ कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:-


क्र.सं.	जिला	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्य
1	2	3	4
1	Banswara	427	204
2	Barmer	520	54
3	Jodhpur	298	13
4	Churu	179	53
5	Jhunjhunu	112	9
6	Sri Ganganagar	54	0
7	Jaisalmer	48	9
8	Bikaner	35	79
9	Pali	30	4
10	Bharatpur	24	3
11	Nagaur	24	13
12	Dungarpur	19	13
13	Sikar	15	11
14	Chittorgarh	9	0
15	Dholpur	9	2
16	Hanumangarh	6	6

17	Bundi	5	
18	Karauli	4	1
19	Kota	4	2
20	Pratapgarh	4	5
21	Rajasamand	4	
22	Sirohi	3	
23	Tonk	3	
24	Sawai Madhopur	3	1
25	Udaipur	1	3
		1	

उपरोक्त प्रगति से यह स्पष्ट है कि आपके जिले में विभागीय निर्देशों की गंभीरता से क्रियान्विती का आभाव रहा है एवं सरकार की मंशा के अनुरूप निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सके हैं, जो खेदजनक है।


आपको निर्देशित किया जाता है कि -

1. उपरोक्त सारणी के कालम संख्या 3 में अंकित कार्यों की गति को त्वरित करते हुए इन्हें अधिकतम 15.7.17 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।
 2. उपरोक्त सारणी के कालम संख्या 4 में अंकित कार्यों को तत्काल प्रारम्भ करना एवं इन्हें त्वरित गति से 15.7.17 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।
- उक्त निर्देशों की निर्धारित समय सीमा में पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

 12/7/17
 (नवीन महाजन)
 शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा. अध्यक्ष, आरआरबीए, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
6. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वॉटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर जिला परिषद समस्त।
8. प्रभारी अधिकारी (अधिशाषी अभियन्ता), एमजेएसए, जिला परिषद संबधित।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबधित।


 (मुकेश माहेश्वरी)
 अधीक्षण अभियन्ता